



**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 126/2020

दायर दिनांक 09.07.2020

**वादी**

1. फतैहसिंह पुत्र बालसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी नुंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

**प्रतिवादीगण**

1. उगमसिंह दत्तक पुत्र मुरत कंवर बेवा नारायण सिंह
2. चन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
3. मदनसिंह पुत्र चैनसिंह
4. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. मंगेजसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. जगदीशसिंह पुत्र भंवरसिंह
7. पृथ्वीसिंह पुत्र बालसिंह
8. बोदुसिंह पुत्र बालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नूवां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

**बनाम्**

**दावा बाबत्**

**घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.**

**उपस्थित:-**

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

**--: निर्णय :-**

दिनांक 14.05.2022

वादी का खातेदारी वाके सरहद नूवां खेत खसरा सं0 273 रकबा 7.32 हैक्टे0, खसरा सं0 506 रकबा 0.15 हैक्टे0 व खसरा सं0 507 रकबा 0.34 हैक्टे0 कुल रकबा 7.81 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 509 रकबा 0.49 हैक्टे0 व खसरा सं0 510 रकबा 0.10 हैक्टे0 कुल रकबा 0.59 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 22.03.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 920 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 920 दिनांक 20.04.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

**सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)**



--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद नूवां खेत खसरा सं० 273 रकबा 7.32 हैक्टे०, खसरा सं० 506 रकबा 0.15 हैक्टे० व खसरा सं० 507 रकबा 0.34 हैक्टे० कुल रकबा 7.81 हैक्टे० तथा खसरा सं० 509 रकबा 0.49 हैक्टे० व खसरा सं० 510 रकबा 0.10 हैक्टे० कुल रकबा 0.59 हैक्टे० भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 920 दिनांक 20.04.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 920 दिनांक 20.04.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नामौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना A (नामौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इव्त्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 126/2020

दायर दिनाँक 09.07.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. फतैहसिंह पुत्र बालसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी नुंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. उगमसिंह दत्तक पुत्र मुरत कंवर बेवा नारायण सिंह
2. चन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
3. मदनसिंह पुत्र चैनसिंह
4. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. मंगेजसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. जगदीशसिंह पुत्र भंवरसिंह
7. पृथ्वीसिंह पुत्र बालसिंह
8. बोदुसिंह पुत्र बालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नूवां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद नूवां खेत खसरा सं0 273 रकबा 7.32 हैक्टे0, खसरा सं0 506 रकबा 0.15 हैक्टे0 व खसरा सं0 507 रकबा 0.34 हैक्टे0 कुल रकबा 7.81 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 509 रकबा 0.49 हैक्टे0 व खसरा सं0 510 रकबा 0.10 हैक्टे0 कुल रकबा 0.59 हैक्टे0 भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 920 दिनाँक 20.04.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 920 दिनाँक 20.04.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)